



50

1.2

सम्पदा प्रबंधक,

वृत्त-.....

राजस्थान आवासन मण्डल,

फोटो  
नोटेरी/राजपत्रित  
अधिकारी से सत्यापित

विषय:- मण्डल द्वारा आवंटित आवास का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती क्रेता का नाम मण्डल के रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत।

संदर्भ:- कार्यालय आदेश क्रमांक-प. बोर्ड गी-210/मुसप्र/2010/641 दिनांक 07.06.2010 एवं क्रमांक प.1(4)/भूअ./94 दिनांक 22.04.2010

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि मैंने राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर योजना, सांगानेर में स्थित आवास संख्या..... का क्रय कर, विक्रय पत्र पंजीकृत करवा लिया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. मूल आवंटी का नाम .....
2. आवास संख्या .....
3. आय वर्ग .....
4. मूल आवंटी के पक्ष में पंजीयन की दिनांक .....
5. विक्रेता का नाम .....

कृपया आवास संख्या ..... का स्वामित्व, पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर मण्डल अभिलेख में मेरे नाम दर्ज करने का श्रम करें।

भवदीय,

हस्ताक्षर :

नाम : .....

पता : .....

संलग्न:-

1. प्रशासनिक शुल्क रूपये ..... की रसीद की छाया प्रति।
2. प्रोफार्मा 'डी' आवेदक व गवाही की पहचान संबंधी पहचान की सत्यापित छायाप्रतियां।
3. मूल आवंटी से अंतिम क्रेता तक के पंजीयन प्रपत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां।
4. अदेय प्रमाण-पत्र जारी होने के पश्चात बकाया लीज राशि जमा की रसीद की छायाप्रति।
5. क्रेता की पहचान संबंधी साक्ष्य की सत्यापित छायाप्रति।
6. संबंधित आवासीय अभियन्ता से भूखण्ड का व्यावसायिक उपयोग नहीं करने का प्रमाण पत्र।

1. प्रशासनिक शुल्क की दर एचआईजी 20,000/-रु., एमआईजी-बी 15,000/-रु., एमआईजी-अ 10,000/-रु., एलआईजी 5,000/-रु., ईडब्ल्यूएस 5,000/-रु. एवं जीएसटी-18 प्रतिशत अलग से देय होगी।
2. व्यावसायिक भूखण्ड की देय स्टाम्प ड्यूटी का 1 प्रतिशत या न्यूनतम 1000/- रुपये।
3. विकसित भूखण्ड की दर संभागीय मुख्यालय 100 वर्ग मी. तक 500/-रु. 200 वर्ग मी. तक 1000/-रु. 200 वर्ग मी. से अधिक 2000/-रु. अन्य स्थान 100 वर्ग मी. 250/-रु. 200 वर्ग मी. तक 500/-रु. 200 वर्ग मी. से अधिक 1000/-रु.
4. विकसित वाणिज्यिक भूखण्ड संभागीय मुख्यालय 2000/-रु. अन्य 1000/-रु.

15 जुलाई 20 से...

## UNDERTAKING

That we.....S/o Shri, .....Tranferer.....  
S/o Shri.....Tranferee have applied for transfer of House  
No.....situated at pratap Nagar, Sanganer, jaipur.

The request to transfer in our name has been accepted by the Rajasthan Housing Board, Jaipur and No-objection hereby undertake that we will abide by the terms and conditions of the original allotment and hereby further undertake to pay the board all the outstanding dues and futures dues including lease money in time.

we will be bound to discharge all the rights and obligations of the allottee (now transferee) which he was obliged to do so in favour of Rajasthan Housing Board.

The term and conditions of original allotment have been made known to me and I have read it.

Signature of transferee

Name .....

Full Address .....

.....

.....

Witness :-

1-.....

.....

.....

2-.....

.....

.....

15 जुलाई 20 से...

पंजीयन उपरांत नाम हस्तांतरण हेतु